भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3747

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कार्यबल का गठन

3747. श्री मनोज कुमार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत बनाए गए नियमों की समीक्षा करने, उनमें परिवर्तन करने या उनमें संशोधन करने का सुझाव देने के लिए एक कार्यबल/समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यबल की संरचना, विचारार्थ विषय और इसके कार्यकाल/दिये गए विस्तार का ब्यौरा क्या है और समीक्षा करने के क्या कारण हैं;

(ग) कार्यबल के विचार-विमर्श/प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार को कोई अंतरिम या अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं और इसमें कौन से प्रमुख परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या परिवर्तनों को अंतिम रूप देने से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय आयोगों (एनसीएससी/एनसीएसटी) सहित प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि नियमों में प्रस्तावित परिवर्तन इस अधिनियम के अंतर्गत गारंटीकृत सुरक्षात्मक ढांचे, जांच प्रक्रियाओं अथवा राहत और पुनर्वास उपबंधों को कमजोर न करे?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): जी, हां।

(ख): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, समीक्षा बैठकों के दौरान विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन से 23

दिसंबर, 2025 को सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया, जिसके विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत बनाए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995, 2016 में यथा संशोधित, में और संशोधन करने के लिए आवश्यक संशोधनों का मसौदा तैयार करना; और

(ii) कार्यबल द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, नियम में किसी भी अन्य संशोधन पर विचार करना और उनका प्रस्ताव देना।

कार्यबल की संरचना **संलग्नक-I** में दी गई है। कार्यबल का कार्यकाल 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ाया गया था।

(ग) और (घ): कार्यबल ने 31 जुलाई, 2026 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 से संबंधित नियमों में संशोधन की सिफारिश की गई। इन संशोधनों में पीड़ितों/उनके आश्रितों/आरोपियों की काउंसलिंग; एफआईआर और आरोप-पत्र को 24 घंटे के भीतर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को भेजना; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास सेल बनाना; और राहत व पुनर्वास की राशि में संशोधन करना आदि शामिल हैं।

(ड.) और (च): जब भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत बनाए गए नियम में कोई बदलाव या संशोधन प्रस्तावित किया जाता है, तो ऐसे संशोधनों को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ उचित परामर्श किया जाता है। नियम में किसी भी प्रस्तावित संशोधन पर अधिनियम के प्रावधानों, सुरक्षा उपायों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती जाती है कि ऐसे संशोधन से अधिनियम के तहत गारंटीकृत सुरक्षा ढांचे, जांच प्रक्रियाओं या राहत और पुनर्वास से संबंधित प्रावधान कमजोर न हों।

संलग्नक-I

कार्यबल की संरचना	
क्र.सं.	पदनाम
1.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग - अध्यक्ष
2.	अपर सचिव, पीओए-पीसीआर प्रभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग – सदस्य
3.	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग – सदस्य
4.	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय – सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग – सदस्य
9.	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग – सदस्य
10.	प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण, गृह विभाग, बिहार सरकार - सदस्य
11.	प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण, गृह विभाग, ओडिशा सरकार – सदस्य
12.	प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय, गृह विभाग, गुजरात सरकार – सदस्य
13.	प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति विकास, गृह विभाग, मध्य प्रदेश सरकार – सदस्य
14.	प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, गृह विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार – सदस्य
15.	प्रधान सचिव, आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण, गृह विभाग, तमिलनाडु सरकार – सदस्य
16.	प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, गृह विभाग, असम सरकार – सदस्य
17.	उप सचिव, पीसीआर-पीओए प्रभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग – सदस्य सचिव
